संख्या-435 /X-2-2009-12(46)/2006

प्रेषक,

आर0के0मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून : दिनांक 04 मार्च, 2009**

विषय:- अनुदान सं0-27 तथा 30 में वन विभाग के अन्तर्गत बाँस एवं रेशा विकास कार्यों हेतु वर्ष 2008-09 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि.1701/35-1, दिनांक 21 जून, 2008, पत्र सं0-नि.993/35-1-बी दिनांक 23 जनवरी, 2009 तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के पत्र सं0-1071/3ए-18 दिनांक 21 जनवरी, 2009 एवं पत्रांक-1293/3ए-18 दिनांक 26 फरवरी, 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित **''बाँस प्रजातियों का रोपण योजना''** हेतु वर्ष 2008-09 में रू0 4,00,00,000/- (रूपये चार करोड़ मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय शासन के निर्धारित मानकों, शर्तों, प्रतिबन्धों के अनुसार वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जाय.
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008, तथा वित्त विभाग के पत्र सं0-326/XXVII(1)/2008, दिनांक 23 अप्रैल, 2008 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति / यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा-आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. बी.एम.-13, 17 पर धनराशि व्यय / अवमुक्ति सम्बन्धी सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्यूरमेन्ट नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्तपुस्तिका में अंकित सुसंगत नियमों/प्रतिबन्धों, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
3. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो समक्ष स्तर से सहमति/स्वीकृति ली जाय.
4. अब तक कराये गये कार्यों का नियोजन विभाग के माध्यम से तृतीय पक्ष से स्वतंत्र आधार पर विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय मूल्यांकन / सत्यापन कराया जायेगा तथा लम्बित देनदारी के सापेक्ष भुगतान सत्यापन उपरान्त ही किया जायेगा.
5. क्रियान्वयन वन विभाग / बांस एवं रेशा विकास परिषद के माध्यम से ही किया जायेगा.
6. अब तक हुए वित्तीय आहरण / भुगतान का विशेष आडिट किया जायेगा.
7. पी.पी.पी. ढांचे (Structure) पर पुनर्विचार किया जायेगा. जिस समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निवेश / परियोजना जोखिम का एक तरफा बोझ सरकार के ऊपर न हो साथ ही रोपण (Plantation) कार्य में flow of investment तथा future revenue accruals का NPV आधार पर वित्तीय विश्लेषण, लागत-लाभ-विश्लेषण व IRR विश्लेषण पर ही निर्णय लिया जायेगा. इस प्रक्रिया में त्रिपक्षीय अनुबन्ध समाप्त करने अथवा समुचित रूप से संशोधित किये जाने की व्यवस्था वित्त विभाग की सहमति एवं विधिक परामर्श लेते हुए की जायेगी.

क्रमशः.....

8. भविष्य में बांस रोपण कार्य / योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (नरेगा) से वित्त पोषण हेतु जोड़ा जायेगा.
9. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
11. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2- उपरोक्त स्वीकृति में से रू0 2,00,00,000/-(रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि **अनुदान सं0-27 के लेखा शीर्षक**-2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 04-बाँस प्रजातियों का रोपण की मानक मद-20-सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता तथा रू0 2,00,00,000/-(रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि **अनुदान सं0-30 के लेखा शीर्षक**-2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 04-बाँस प्रजातियों का रोपण की मानक मद-20-सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामे डाली जायेगी.

3- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-134(P)/XXVII(4)/2008, दिनांक 02 मार्च, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-415 (1)/X-2-2009 तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
7. निजी सचिव, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. आयुक्त, **गढ़वाल / कुमाऊँ** मण्डल, उत्तराखण्ड.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव